



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक- 03.04.2024

विषय:- आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना रोहनिया में N.D.P.S. एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1500/- रु. अर्थदण्ड।

थाना रोहनिया, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 293/1996 धारा 8/20 N.D.P.S. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार सिंह पुत्र जोखन सिंह निवासी बड़ी बारी थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक रोहनिया व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त सुनील कुमार सिंह उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (15 दिवस) के कारावास व 1500/- रु. अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।